मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग
निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल,
58 अरेरा हिल्स, भोपाल– 462 011

<u>अपील कमांक ए–181 / रासूआ / 53–3 / 2006 / होशंगाबाद</u>

श्री श्रवण दुबे, — अपीलकर्ता
128 / 86,नालंदा स्कूल के आगे,
प्रताप नगर, रसूलिया,
जिला –होशंगाबाद ।

विरूद्ध

संयुक्त संचालक, — लोक सूचना अधिकारी
महिला बाल विकास,
ब्लॉक–2,चतुर्थ तल,पर्यावास भवन,
भोपाल ।

(आदेश दिनांक 7.7.2006)

श्री श्रवण दुबे ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत की है । उन्होने एक आवेदन श्रीमती कल्पना दुबे के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करने के लिये लोक सूचना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास संचालनालय, भोपाल मध्यप्रदेश को प्रस्तुत किया था –

''1. राज्य महिला आयोग एवं माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय से सदभावनापूर्वक श्रीमती कल्पना दुबे के प्रकरण में की गई कार्यवाही की कोई जानकारी नही दी गई । जानकारी दी गई है कि पत्र नस्तियों में नही हैं, यदि नहीं हैं तो कहां गये । अतः समस्त जानकारी का मिलान आवक–जावक पंजी से कराया जाये ।

मुख्य मंत्री के सलाहकार का पत्र कमांक–7224 दिनांक 21.3.99 पर कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांक 12.4.99 से कार्यक्रम अधिकारी होशंगाबाद को निर्देश दिये जाना बताया गया है, किन्तु कार्यवाही होने में कितने वर्ष लगेगें, यह नहीं बताया गया और यदि कार्यवाही नही की गई तो क्यों नहीं अथवा संबंधित दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

2. श्रीमती कल्पना दुबे के आवेदन दिनांक 19.4.99 की न तो सत्यापित छायाप्रति भी दी और न ही इसकी नस्ती की ही छाया प्रतियां दी गई और न ही आवेदन में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में कोई जानकारी भी दी गई है ।

3. महिला बाल विकास विभाग के पत्र दिनांक 12.8.98 के संबंध में श्रीमती दुबे के असहयोग के कारण कार्यवाही की जानकारी अप्राप्त होना बताया गया, किन्तु क्या असहयोग किया ? राज्य शासन एकतरफा निर्णय हेतु क्या सक्षम नही है ?

4. टेलीग्राम की न तो आफिस कापी की छाया प्रति दी गई और न ही उसकी नोटशीट निर्णय की छाया प्रति दी गई है और न ही उस पर अमल नहीं किये जाने का कोई कारण ही बताया गया । अमल नहीं करने पर क्या कार्यवाही की गई ।

– उपसंचालक की रिपोर्ट की प्रति नही दी गई, यदि नस्ती में नहीं है तो कहां गई ?

– वर्ष 1995–96 में आवक जावक पंजी संधारण नही होना बताया गया है । क्या इससे बड़ा सफेद झूठ हो सकता है ।

– राजगढ़ कार्यालय के पत्र क्रमांक–1393 दिनांक 13.8.01 पर क्या कार्यवाही की गइ ? कोई जानकारी नही दी गई ।

– मुख्य निर्देशिका के पत्र क्रमांक 14 दिनांक 5 जनवरी, 96 के सन्दर्भ में दिये गये मार्गदर्शन संबंधी जानकारी नहीं दी जा रही है ।

– श्रीमती शर्मा के आवेदन दिनांक 4.1.97, 9.1.97 के संबंध में लिये गये निर्णय की जानकारी भी नहीं दी ।

– श्री एस.के.चौबे, जिला महिला बाल विकास अधिकारी, होशंगाबाद व्दारा रूपये 5,000/–की रिश्वत संबंधी जानकारी भी नस्ती में अर्पूण दी गई है उसके अन्तिम निराकरण की काई जानकारी नही दी गई है ।

– श्रीमती दुबे व्दारा झूठी शिकायतें एवं अनावश्यक प्रचार करने के संबंध में जिला स्तर पर विभागीय जांच प्रचलन में होने की सूचना दी गई है, जो शत प्रतिशत असत्य है क्योंकि जिला स्तर पर लंबित विभागीय जांच में उक्त आरोप नहीं है ।

– श्रीमती कल्पना दुबे की उपस्थिति/अनुपस्थिति की जानकारी नहीं दी गई ।

– श्रीमती कल्पना दुबे के वर्ष 2000 में पावरखेड़ा से जीरापुर किये गये स्थानान्तरण के संबंध में स्थानान्तर नीति के बिन्दु की जानकारी (स्थानान्तर

नीति के किस बिन्दु के अन्तर्गत स्थानानन्तर किया गया ?) चाही गई थी जो नही दी गई है ।''

2. अपीलकर्ता के अनुसार उन्हें इस जानकारी को देने के लिये रूपये 628/– जमा करने के लिये कहा गया था जो 314 पृष्ठों की छाया प्रति देने के संबंध में है । उनका यह कहना है कि उन्हें केवल 305 पृष्ठ दिये गये उनके व्दारा प्रथम अपील दिनांक 23 फरवरी, 2006 को प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित अधिकारियों व्दारा एक पत्र तथा 16 अन्य पृष्ठों की छाया प्रति प्रदान की गई लेकिन अपील के संबंध में उन्हें कोई समाधानपूर्वक उत्तर नही प्रदान किया गया उन्होंने अपनी अपील में निम्न बिन्दु उठाये है :–

1) अप्रैल, 1996 से दिसंबर, 2005 तक श्रीमती कल्पना दुबे, सहायक निदेशक/पर्यवेक्षक के संबंध में मुख्य मंत्री सचिवालय/ कार्यालय/ जनशिकायत निवारण विभाग, प्रमुख सचिव व मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन व अन्य माध्यमों से प्राप्त पत्रों की सूची सहित उनके पूर्ण विवरण तथा उनपर की गई कार्यवाही का विस्तृत ब्यौरा सहित भेजी गई जानकारी व पत्रों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जावें ।

2) क्या श्रीमती कल्पना दुबे द्वारा दिनांक 19.04.1998 को तत्कालीन आयुक्त महोदय, श्री ओ.पी.रावत के समक्ष उपस्थित होकर अधिकारियों द्वारा दी जा रही प्रताड़ना से राहत दिलाने अथवा न दिलाने की स्थिति में सेवा मुक्त किए जाने संबंधी कोई आवेदन दिया था यदि हां तो उक्त आवेदन की सुपठनीय सत्यापित प्रति उपलब्ध करवाते हुए आवेदन में उठाए गए समस्त बिन्दुओं पर क्या कार्यवाही की गई । सम्पूर्ण विवरण पर नस्ती की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करावें ।

3) मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ–1(बी)/27/96/50–1, दिनांक 12.08.1998, 17.03.1999 एवं 21.04. 1999 के संदर्भ में संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक स्था/4/मबावि/98/9312, दिनांक 11.11.1998 के तारतम्य में कलेक्टर, होशंगाबाद का विभागीय जांच हेतु कारण बताओ नोटिस क्र0–स्था/मबावि/2001, दिनांक निरंक के संदर्भ में श्रीमती दुबे द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांक 20 मार्च 2001 के आधार पर श्रीमती दुबे के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? लिया गया निर्णय तथा की गई कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण सहित नस्ती की प्रति उपलब्ध कराई जावे ।

4) आपके मूलतः कलेक्टर, होशंगाबाद को संबोधित टेलीग्राम क्रमांक स्था/2/न्याया/म बा वि/96/5908, दिनांक 26.12.1998 व पत्र क्रमांक स्था/ 4/ भुग/ 5/ 97/ 561, दिनांक 25.01997 एवं स्था/ 4/भुग/97/2400, दिनांक 05.05.2005 किन नियमों एवं संदर्भो में जारी किए गए ? क्या संबंधित समस्त स्वत्वों/परिलाभों को दिया गया ? यदि नहीं तो

क्यों ? क्या श्रीमती दुबे ने संबंधित अधिकारियों द्वारा आपके तथा अन्य उच्च अधिकारियों के निर्देश/आदेश पालन नहीं किए जाने के संबंध में कोई सूचना पत्र आज ही दिया अथवा नहीं दिया ? उक्त संबंध में संचालनालय स्तर पर क्या निर्णय लिये गए समस्त विवरण तथा कल्पना दुबे से संचालनालय को प्राप्त समस्त पत्रों की सूची सहित नस्ती की प्रतियां उपलब्ध कराई जावें ।

5) संचालनालय द्वारा जन शिकायत निवारण विभाग को अनेकों बार यह जानकारी भेजी है कि श्रीमती दुबे उच्च अधिकारियों की शिकायतों एवं अनावश्यक पत्राचार करने की आदी हैं ? क्या यह सत्य है ? यदि सच है तो उन समस्त पत्रों आदि की सूची व सत्यापित प्रतियां उपलब्ध कराई जावें, जिनमें श्रीमती दुबे ने झूठी शिकायतें की हैं ? इसके लिए श्रीमती दुबे के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम, 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 1996 से 2005 तक राज्य शासन एवं विभागाध्यक्ष स्तर अथवा जिला स्तर पर श्रीमती दुबे के विरूद्ध कोई विभागीय जांच कराई गई है ? की गई जांच एवं निष्कर्ष तथा दोषी के विरूद्ध की कार्यवाही संबंधी नस्ती की प्रति उपलब्ध कराई जावे ।

6) क्या श्रीमती दुबे वर्तमान में कार्य पर उपस्थित हैं ? यदि वह अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं तो अनुपस्थिति के कारण सहित अवगत कराया जावे ? यदि ऐसा है तो उसके विरूद्ध किसी भी स्तर पर कोई विभागीय जांच आदि कराई जाकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम, 1966 के तहत कार्यवाही की गई है ? सम्पूर्ण प्रकरण की सत्यापित छायाप्रतियां दी जावें ।

7) श्रीमती दुबे का पंवारखेड़ा से जीरापुर स्थानांतरण नीति के किस बिन्दु के आधार पर किया गया ?

3. इस प्रकरण में अपीलकर्ता, लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी श्री पी0 नरहरि राव को सुना गया । इस प्रकरण में दो बातें स्पष्ट हैं । एक तो जिन बिन्दुओं में जानकारी अपीलकर्ता ने लोक सूचना अधिकारी से मांगी थी,उससे विभिन्न जानकारी के लिये अपील प्रस्तुत की गई है इसलिये यह अपीलें नियमानुसार नही हैं । दूसरी बात यह है कि यह जानकारी व्यक्तिगत सूचना की जानकारी की श्रेणी में आती है जिसे देने के लिये लोक प्राधिकारी अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) मे देने के लिये बाध्य नही है, क्योंकि यह जानकारी श्रीमती कल्पना दुबे के संबंध में है । इस जानकारी का संबंध किसी लोकहित या लोक क्रिया–कलाप से नही है, अतः यह अपील निरस्त की जाती है ।

(टी0एन0श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त